


२४<sup>१</sup>/<sub>२५</sub>

प्यावली पेरा डई । रुक रुक कर  
तीन बारा भावाज दिलाई गई ।  
न ली वकील उप. ई न छी  
पझकारान पेसी । स्वीटि मे

बचनवान ..... बनाम .....

धारा ..... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
	<p>न्यायालय हुकम पत्रावली को लागू जैरकार रखना उचित नहीं समझता है। अतः हुकम पत्रावली को डाकम द्वारा हुकम पत्रकी मे स्वदिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर ले कम ही जावे। निर्णय माज दिनांक 28-1-2025 का तरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> अंजना सहरावत अध्यक्ष अधिकारी बफिल</p>	